

क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 / पार्ट
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 11 / 2017

प्रति,

- मुख्य अभियंता,
1. महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर
2. महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर

विषय :- नवनियुक्त अमीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- संदर्भ :-
1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 / पार्ट / 15292 दिनांक 04.10.2017.
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 / पार्ट / 15381 दिनांक 07.10.2017.
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 / पार्ट / 15732 दिनांक 13.10.2017.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित कार्यालयीन पत्रों के अनुक्रम में लेख है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार समूह-दो का प्रशिक्षण दिनांक 13.11.2017 से दिनांक 09.12.2017 के स्थान पर दिनांक 20.11.2017 से दिनांक 16.12.2017 तक प्रशिक्षण केन्द्र रायपुर में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः संभागीय कार्यालयों में नवनियुक्त द्वितीय समूह (महिला वर्ग) अमीनो को प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भार मुक्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- शून्य।

पृष्ठा. क्रमांक 3323067 / छ.ग. / 2016 / पार्ट
प्रतिलिपि :-

116939

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर
रायपुर दिनांक 09/11/2017

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. श्री एस.व्ही. भागवत्, मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. श्री एस.के. साहू, अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. श्री के.एस. ध्रुव, अधीक्षण अभियंता, महानदी मंडल, रायपुर।
5. श्री ए.के. दुबे अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता, शिवनाथ मंडल दुर्ग।
6. श्री के.एस. भण्डारी अधीक्षण अभियंता, इन्द्रावती परियोजना मंडल जगदलपुर।
7. श्री ए.के. श्रीवास्तव, कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग क्रमांक-1, रायपुर।
8. श्री महेश कुमार शर्मा, विधि अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया संबंधित अधिकारियों एवं कार्यालय के विभागीय वेबसाइट अपलोड करें एवं समस्त कार्यपालन अभियंताओं को उनके ई-मेल पर ऑनलाईन सूचित करें।
10. कार्यपालन अभियंता.....
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहपत्र :- शून्य।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़ रायपुर